



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43732

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2896 2026

वीरेंद्र कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:दिलीप कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार उपाध्याय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह गाजीपुर जिले में सिविल पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। रिट याचिकाकर्ता ने पहले एक रिट याचिका (रिट-ए संख्या 13046 वर्ष 2025) दायर की थी, जिसमें गाजीपुर से गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में स्थानांतरण की मांग की गई थी; इस याचिका का निपटारा 03.09.2025 को कर दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, अब तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 16.10.2025 को पारित आदेश के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि उसका स्थानांतरण गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में नहीं किया जाता है, तो उसका स्थानांतरण हापुड़ या बरेली में कर दिया जाए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दिया कि आगामी सत्र से एक नई स्थानांतरण नीति लागू होने वाली है, और इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना रिट याचिकाकर्ता का दायित्व है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. इन दलील पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात्, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता तीसरे प्रत्यर्थी, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संपर्क करे। याचिकाकर्ता आगामी सत्र में, जब नई स्थानांतरण नीति प्रभावी होगी, गाजीपुर से हापुड़ या बरेली में स्थानांतरण की मांग कर सकता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन किया जाता है, तो इस न्यायालय के पास यह अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उस आवेदन पर कानून के पूर्ण अनुपालन में और अत्यंत शीघ्रता के साथ विचार किया जाएगा।

25 फ़रवरी 2026

राजेश

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)